RBA No. 29_2024.pdf
Size 89.9 KB

I/3107810/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No.29/2024

No.2024/ACII/9/2/e 3465654

New Delhi, Dated : 18.10.2024

General Managers
All Zonal Railways /PUs .

Sub: Bank Account – Salary Package Scheme reg.

***

In order to provide maximum benefits to employees as permissible under salary accounts package of various banks, Zonal Railways/PUs may assist the banks through setting up of camps, dissemination of information on various salary packages, training on personal finances etc. Further, Zonal Railways must ensure that the information must be disseminated only after taking inputs from as many banks as possible to provide wider choice and prevent frequent changes to salary account.

However, it may be noted that instructions issued vide Board's letter no. 2006/ACII/9/1/Pt.II dated 04.05.2012 (RBA No.11/2012) and letter no. 2006/ACII/17/1 dated 14.03.2006 (RBA No.09/2006) remains unchanged. Employees are free to open their account with any bank and Railway administration does not provide any preference for any particular bank with regard to opening of salary accounts. Further, Railway Administration shall neither be a guarantor for any loan nor undertake deduction from salary towards any loan scheme offered by Bank to the employees under the salary package scheme.

Railway should neither make any commitment to the bank nor be a party to any commitment extended by the bank to the employees. This aspect in particular may be widely disseminated amongst employees and the banks.

Suitable arrangements may please be made in the matter.

Signed by
Rajat Agarwal
Date: 18-10-2024 18:49:29

(Rajat Agarwal)
Joint Director/Finance(CCA)
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 29/2024

सं. 2024/एसीII/9/2/ई 3465654

नई दिल्ली, दिनांक 18-10-2024

महाप्रबंधक
सभी भारतीय क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: बैंक खाता - वेतन पैकेज योजना संबंधी।

विभिन्न बैंकों के वेतन खाता पैकेजों के अंतर्गत यथा अनुमेय कर्मचारियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां कैंपों के आयोजन, विभिन्न वेतन पैकेजों पर सूचना का प्रसार, निजी वित्त पर प्रशिक्षण आदि द्वारा बैंकों की सहायता कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक विकल्प प्रदान करने और वेतन खाते में बार-बार परिवर्तन को रोकने के लिए क्षेत्रीय रेलें यह सुनिश्चित करें कि जितने बैंकों से संभव हो सके, उनसे जानकारी प्राप्त कर ही सूचना प्रसारित हो।

बहरहाल, यह नोट किया जाए कि बोर्ड के दिनांक 04.05.2012 के पत्र सं. 2006/एसीII/9/1/भाग II (आरबीए सं.11/2012) तथा दिनांक 14.03.2006 के पत्र सं. 2006/एसीII/17/1 (आरबीए सं.09/2006) के तहत जारी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। कर्मचारी किसी भी बैंक में खाता खोल सकते हैं तथा रेल प्रशासन वेतन खाता खोलने के लिए किसी विशेष बैंक को प्राथमिकता नहीं देता है। इसके अतिरिक्त, वेतन पैकेज योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा कर्मचारियों को प्रस्तावित किसी ऋण योजना के लिए न तो गारंटीकर्ता होगा और न ही वेतन से किसी ऋण के लिए कटौती करेगा।

रेलवे न तो किसी बैंक को वचनबद्धता देगा और न ही बैंक द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली वचनबद्धता की पार्टी होगा। कर्मचारियों तथा बैंकों में विशेष रूप से इसका व्यापक प्रसार किया जाए।

इस मामले में समुचित व्यवस्था की जाए।

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक/वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड